E-Tender No. 2026_MPFD_505086_1
DFO/SDH/2026-27/LINE QUARTER

TENDER DOCUMENT

निविदा दस्तावेज

(Campa NPV)

LINE QUARTER CONSTRUCTION WORK

PLACE : RAMPUR, RANGE CHURHAT

वित्तीय वर्ष : 2026-27

निविदा की शर्ते हेतु मार्गदर्शित प्रारूप

विषय सूची

खंड–सं.	विवरण
खण्ड –1	ई–निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)
खण्ड –2	निविदा दाता को निर्देश (आईटीबी) 1. महत्वपूर्ण तिथियां / सामान्य जानकारी 2. निविदा दस्तावेज 3. निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन 4. अनुबंध प्रदान करना 5. अन्य नियम और शर्ते (अनुलग्नक 1 से 7),सामग्री विवरण

-: कार्यालय :-

वन मण्डल अधिकारी सामान्य वन मण्डल, सीधी

कोतवाली रोड जिला-सीधी म.प्र.

E-mail- dfot.sdh@mp.gov.in

Ph.No. 07822-252235

खंड-१

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल सीधी,जिला-सीधी (म.प्र.)

कोतवाली रोड जिला-सीधी म.प्र. E-mail- dfot.sdh@mp.gov.in Ph.No. 07822-252235

ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 4292 /ई–टेंडरिंग/2026–27 दिनांक 05/05/.2026

1. वन मण्डलाधिकारी वनमण्डल सीधी द्वारा म0प्र0 भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित–2022) के अन्तर्गत निम्नलिखित ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	सामग्री का विवरण	सत्यांकर निधि	निविदा दस्तावेजों का मूल्य
1	LINE QUARTER CONSTRUCTION WORK PLACE : RAMPUR, RANGE CHURHAT	1,44,900.00	1000.00

- निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किये जा सकते है।
- इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 05/05/2026........... से दिनांक ..25/05/2026 तक केवल आनलाइन खरीद सकते है।
- ई–प्रोक्योर्मेन्ट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लेखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लांगू होगी।
- निविदा पूर्व बैठक – यदि लागू हो तो निविदा पोर्टल विवरण अनुसार 19/05/2026, 01 बजे दोपहर
- ई–निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो तो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जायेगा, समाचार पत्रों में नही।
- ई–प्रोक्योर्मेन्ट पोर्टल – https://mptenders.gov.in

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी ★ वनमण्डल सीधी (म.प्र.) ★ सत्यमेव जयते

वन मण्डल अधिकारी
सीधी (म0प्र0)

2026_MPFD_505086_1

निविदाकारों के लिये निर्देश (आईटीबी)

अ–महत्वपूर्ण तिथियां/सामान्य जानकारी

क्र.	जानकारी	विवरण
1	संक्षिप्त विवरण	LINE QUARTER CONSTRUCTION WORK PLACE : RAMPUR, RANGE : CHURHAT
2	ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	खण्ड 1 अनुसार
3	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत	खण्ड 1 अनुसार
4	सत्यांकार निधि	खण्ड 1 अनुसार
5	निविदा प्रस्ताव की बैधता	2026-27
6	निष्पादन सुरक्षा	मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम अनुसार
7	अनुमानित निविदा मूल्य	48.30 लाख
8	निविदा पूर्व बैठकं की तिथि और समय	यदि लागू हो तो निविदा पोर्टल विवरण अनुसार
9	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि (अंतिम तिथि)	निविदा पोर्टल एवं दस्तावेज अनुसार
10	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	निविदा पोर्टल एवं दस्तावेज अनुसार
11	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	निविदा पोर्टल एवं दस्तावेज अनुसार
12	जमा करने का प्रकार	आनलाइन जमा https://mptenders.gov.in/ पर करें।

1. निविदा की स्वीकृत दरों की बैधता सफल निविदाकार और वन मण्डल अधिकारी सीधी के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
2. निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वन मण्डलाधिकारी सीधी के बीच आपसी सहमति के अधीन बढ़ाई जा सकती है।
3. वन मण्डलाधिकारी सीधी (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताये प्रस्ताव के लिये अनुरोध (आरएफपी) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नही करता है, कि इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिये अनुरोध (आर0एफ0पी) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नही है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है, हालांकि निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताये इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।
4. प्रति निविदाकार एक निविदा :

   4.1 निविदाकार एक व्यक्तिगत इकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। सयुक्त उद्यम की आवश्यकता अनुलग्नक 6 में दी गई है।

   4.2 कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग–अलग एक से अधिक निविदायें प्रस्तुत करने का हकदार नही होगा। यदि वह ऐसा करता है, तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जायेगी।
5. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्चे वहन करना होगा, और इसके लिये सरकार पर कोई भी दावा नही किया जायेगा।
6. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस–पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा संबंध में सभी खर्चे निविदाकार को बहन करना होगा।

(ब) निविदा दस्तावेज

7. निविदाकारों को अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होगें।

(निविदाकार द्वारा पोर्टल के माध्यम से अपलोड किये जाने वाले सभी दस्तावेज पढ़ने योग्य एवं स्वतः प्रमाणित होने चाहिये, एवं जो कार्यअनुभव आपके द्वारा अपलोड किया गया है वह स्पष्ट साफ रहना चाहिये)

1. जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र
2. पैन कार्ड
3. पिछले 3 वित्तीय वर्षो के आयकर रिटर्न (2023-24,2024-25,2025-26)
4. 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर पूरा अनुलग्नक–1
5. पूरा अनुलग्नक 2
6. पूरा अनुलग्नक 3
7. सीए प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण पत्र (2023-24,2024-25,2025-26)
8. दुकान एवं प्रतिष्ठान पंजीकरण
9. एमएसई प्रमाण पत्र यदि ईएमडी छूट मांगी गई है।
10. स्टार्टअप इण्डिया प्रमाण पत्र यदि वार्षिक औसत टर्नओवर या/और पिछले अनुभव से छूट मांगी गई है। (अनुलग्नक 4 खण्ड (1) और (2)
11. **अनुलग्नक 4 अनुसार विगत 03 वर्षो का संबधित कार्य अनुभव प्रमाण / कार्य आदेश दस्तावेज एवं लेटर हेड में किये गए कार्य का गोशवारा विवरण**

8. निविदाकार से निविदा दस्तावेज़ के सभी निर्देशों और शर्तो की सावधानीपूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

निविदा पूर्व बैंठक – यदि लागू हो तो निविदा पोर्टल विवरण अनुसार 19/05/2026 समय 01 बजे दोपहर
जहां भी निविदा दस्तावेज में निविदा पूर्व बैठक का प्रावधान है : वन मण्डल कार्यालय सभागार

9.1 ई–निविदा आमंत्रण सूचना में स्थान, तिथि और समय का उल्लेख किया जावेगा। निविदा पूर्व बैठक के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव केवल वेबसाइट पर अधिसूचित किया जावेगा, और निविदाकारों को अलग से सूचित नही किया जायेगा।

9.2 कोई भी संभावित निविदाकार निविदा पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रूप से अपने प्रश्न उठा सकता है अथवा स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऐसी बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और उस चरण में उठाये जाने वाले किसी भी मामले पर सवालों के जबाब देना है। निविदाकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे स्पष्टीकरण दे सकता है जो उसे आवश्यक लगे।

9.3 निविदा पूर्व बैठक का कार्य विवरण जिसमें उठाये गये प्रश्नों का सार और दिये गये उत्तर तथा बैठक के बाद तैयार किये गये किसी भी उत्तर को शामिल किया जावेगा, वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जावेगा।

9.4 निविदा पूर्व बैठक के बाद यदि निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज में संशोधन करना आवश्यक समझता है, तो यह आनलाइन ई–निविदा आमंत्रण सूचना में सशोधन जारी किया जावेगा।

9. सत्यांकार निधि (ईएमडी)

1. सत्यांकार निधि की गणना मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के नियम 14 के अनुरूप की जानी है।
2. सत्यांकार निधि निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज का मूल्य और प्रसंस्करण शुल्क ई–खरीद पोर्टल पर आनलइन जमा किया जावेगा। आफलाइन जमा करना मान्य नही होगा। (उपर्युक्त नियमों के खण्ड 14.1 के अनुसार)

3. सफल सत्यांकार निधि जमा करने की रसीद की स्कैन की गई प्रति निविदा के साथ शामिल की जानी चाहिये।
4. असफल निविदाकारों की सत्यांकार निधि यथा शीघ्र वापस कर दी जावेगी। (उपर्युक्त नियमों के खण्ड 14.2 के अनुसार)
5. सत्यांकार निधि जप्त की जा सकती है।

5.1 यदि निविदाकार निविदा बैधता अवधि या इसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी निविदा वापस ले लेता है या उद्धृत मूल्य में बृद्धि करता है।

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान, यदि निविदाकार जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे निविदा के मूल्यांकन और निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जोखिम या अनावश्यक रूप से देरी हो।

या

सफल निविदाकार के मामले में यदि निविदाकार निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 07 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है।

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत/हेरफेर/छिपी हुई पाई जाती है।

6. सत्यांकार निधि जप्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर सवाल नही उठाया जायेगा।

10. सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से तीन–कवर प्रणाली में ऑनलाइन होगी। इस निविदा सूचना के संबंध में सभी अधिसूचनायें और विस्तृत नियम एवं शर्ते वेवसाइट पर आनलाइन प्रकाशित की जावेगी।
11. निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और निविदाओं को आनलाइन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के लिये दिशा–निर्देश पोर्टल से डाउनलोड किये जा सकते है।
12. पूर्व–योग्यता मापदण्ड अनुलग्नक 4 में दिये गये है। निविदाकारों को अपने पूर्व–योग्यता, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों पर आवश्यक जानकारी केवल संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में कोई भी विचलन निविदा को अस्वीकार करने के लिये उत्तरदायी बना सकता है। पूर्व–योग्यता या तकनीकी लिफाफे में निविदा की वाणिज्यिक जानकारी का खुलासा निविदा को अस्वीकार करने के लिये पर्याप्त आधार होगा।
13. तकनीकी निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन खोली जायेगी।
14. वाणिज्यिक निविदा के अलावा निविदा के किसी भी भाग में निविदा की कीमतों का उल्लेख नही होना चाहिये।
15. निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाइन अपलोड करनी चाहिये और पोर्टल पर दिये गये बिल की मात्रा (बीओक्यू) के अनुसार अपलोड करनी चाहिये।
16. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो) में शामिल लागत शामिल होगी। निविदाकार वन मण्डलाधिकारी द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिये उत्तर दायी होगे। जो कि वन मण्डल के भौगोलिक सीमा तक होगा। निविदा मूल्य में जी.एस.टी. अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होगें और यह भारतीय रूपये में होगा।
17. सभी संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे वन मण्डल सीधी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 3) निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिये। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहियें।
18. निविदाकार द्वारा अनुलग्नक 1 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार एक स्व–घोषणा – काली सूची में दर्ज नही होने संबंधित प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ रू.100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

(स) निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन

19. निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को परियोजना के सर्वोत्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर बिना किसी कारण बताये, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
20. निविदाकर्ता प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करने के लिये एक निविदा मूल्यांकन समिति (TEC) नियुक्त करेगा। निविदा मूल्यांकन समिति, निविदाओं की जांच करके यह निर्धारित करेगी कि वे पूर्ण एवं उत्तरदायी है, और निविदा प्रारूप RFP आवश्यकताओं के अनुरूप है या नही। निविदाकर्ता निविदा में किसी भी अनौपचारिकता या गैर अनुरूपता को माफ कर सकता है जो निविदाकर्ता के अनुसार भौतिक विचलन का गठन नही करता है।

    (गैर भौतिक विचलन छोटी–मीटी त्रुटियों या चूक को सन्दर्भित करता है जो निविदा की मुख्य आवश्यकताओं या मूल्यांकन प्रक्रिया कि निष्पक्षता को प्रभावित नही करती है, जैसे कि छोटी–मोटी लिपिकीय त्रुटियों या प्रारूपण संबंधी मुद्दे)
21. निविदाकर्ता केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय निविदायें खोलेगा।
22. यदि कोई फर्म शून्य शुल्क/प्रतिफल उद्धृत करती है, तो निविदा को अनुत्तरदायी माना जायेगा। और उस पर विचार नही किया जायेगा। इसी प्रकार यदि समिति/वन मण्डलाधिकारी की राय में निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिफल या तो बहुत कम या बहुत अधिक है, तो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।
23. यदि दो या अधिक निविदाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव एक समान पाये जाते है, तो लॉटरी के माध्यम से निर्णय किया जायेगा।
24. कोई भी सशर्त निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
25. अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर ठीक किया जावेगा, यदि इकाई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है, तो ईकाई मूल्य मान्य होगा और कुल मूल्य को सही किया जायेगा। यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच कोई विसंगति है तो शब्दों में राशि मान्य होगी।
26. निविदाकर्ता किसीं भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति निविदाकर्ता का कोई दायित्व उत्पन्न नही होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सूचित करने का कोई दायित्व नही होगा।

(द) अनुबंध का पुरस्कार

27. सबसे कम दर उद्धृत करने वाली फर्म को निविदा दी जायेगी। यदि ऐसा होता है कि विभिन्न सामग्रियों के लिये प्राप्त न्यूनतम दरें अलग–अलग फर्मो से है तो कार्य आदेश उन संबंधित फर्मो को जारी किये जायेगे, जिनकी उक्त वस्तुओं के लिये क्रमशः सबसे कम दरें है।
28. नियोक्ता सफल निविदाकारों को स्वीकृति पत्र (एलओए) (अनुलग्नक 5) जारी करके सूचित करेगा कि उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सफल निविदाकार को शपथपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
29. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले जिस निविदाकार को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है, उसे इस निविदा के लिये सुरक्षा जमा के रूप में अनुभाग 2 महत्वपूर्ण तिथियों/सामान्य जानकारी पृष्ठ के क्रमांक 6 में निर्दिष्ट राशि जमा करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा क्रियाशील शाखा वाले अनुसूचित बैंक (सहकारी बैंकों को छोड़कर) से सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी के रूप में **वन मण्डल अधिकारी सीधी, जिला सीधी** के पक्ष में जमा की जा सकेगी। सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी की बैधता अनुबंध की संपूर्ण अवधि से 3 माह अधिक अवधि के लिये होगी। यदि निविदा प्रस्ताव की बैधता कुछ अवधि के लिये बढ़ाई जाती है, तो नई निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। हालॉकि यदि

मूल निष्पादन सुरक्षा जमा बैधता की अवधि आवश्यक निर्दिष्ट तिथि के लिये बैध है तो उस जारी रखा जा सकता है।

निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर वापस कर दी जायेगी कि अनुबंध के तहत निविदाकार के द्वारा दायित्यों का उचित निष्पादन किया गया हैं। हालॉकि विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नही होगा।

निष्पादन सुरक्षा राशि की गणना मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम 2015 (संशोधित 2022) के अनुरूप की जावेगी।

30. इस अनुबंध के उल्लघन की स्थिति में या इस अनुबंध में अनुसार लागू किसी भी दण्ड की वसूली के लिये निविदाकर्ता को सफल निविदाकार को नोटिस दिये बिना निष्पादन सुरक्षा की राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू करने और विनियोजित करने का अधिकार होगा संदेश से बचने के लिए पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत है कि निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के विनियोजन की आवश्यकता वाले किसी भी चूक की स्थिति में निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किसी भी बाद के भुगतान से कटौती कर सकता है जैसे कि वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा को भी नियोजित कर रहा हो। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के करणों में नीचे दी गई शर्तें शामिल है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।
    1. निविदाकार सामग्री देने में सक्षम नहीं है या निविदाकार ने ऐसी सामग्री प्रदाय की है जो समिति/वन मंडल अधिकारी की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करती है और इसलिए निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है ।
    2. निविदाकार या प्रतिनिधि या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अपने जुड़ाव के दौरान किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल है।
    3. यदि निविदाकार लगातार तीन बार निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के प्रति गैर उत्तरदाई है।
    4. निविदाकार समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है.

31. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

1. सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा यदि कोई हो प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृत पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा अनुबंध समझौते का प्रारूप अनुलग्नक 7 में दिया गया है।
2. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के रूप में माना जाएगा काम शुरू करने के लिए निविदा कर्ता द्वारा निविदाकार को आमतौर पर कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।
3. सफल निविदाकर्ता द्वारा निष्पादन सुरक्षा यदि कोई हो प्रस्तुत करने का अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में निविदाकार के खिलाफ कार्यवाई करने के लिए निविदाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालें बिना उसकी सत्यांकार की राशि (ईएमडी) जप्त कर ली जाएगी।

32. निविदाकर्ता इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुए 07 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा वह उचित समझे अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है और निविदाकार को काली सूची में डाल सकता है।

33. अनुबंध भारत में प्रचलित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन/प्रसंस्करण के संबंध में समय-समय पर लागू कानून और अधिनियम के ढांचे के भीतर सभी कानूनी विवाद केवल मध्य प्रदेश के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा.।

ई. अन्य नियम और शर्ते

35. ब्लैक स्टोन क्रश्ड एग्रीगेट और रेत की आपूर्ति के संबंध में सफल निविदाकार को प्रत्येक बिल/चालान के साथ राल्यटी रसीद प्रदान करनी होगी।
36. जहां भी लागू हो, सामग्री में शून्यता (Voids) की कटौती की जायेगी।
37. इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पादों में, निविदाकार OEM या OEM अधिकृत डीलर या आपूर्तिकर्ता होना चाहिए और उसी का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संबंध संलग्न किया जाना चाहिए। (यदि लागू हो तो)
38. निविदाकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी नमूना यादृच्छिक रूप से चुन सकता है और उसे प्रयोगशाला में परीक्षण करवा सकता है। सामग्री का परीक्षण NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से किया जाएगा और परीक्षण शुल्क पूर्तिकर्ता द्वारा वाहन किया जायेगा। यदि सामग्री की गुणवत्ता घटिया पाई जाती है तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा निष्पादन सुरक्षा जब्त की जा सकती है और आपूर्तिकर्ता को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
39. निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है यदि वे निविदा दस्तावेज नियम और शर्तों और शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) में मांगे गए किसी भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज को अपलोड नहीं करते हैं।
    1. यदि निविदा की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत अपलोड किए गए. दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधड़ी वाले हैं तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है ऐसे मामले में निविदाकार का समझौता रद्द किया जा सकता है जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकर की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जप्त की जा सकती है।
    2. उपजाऊ मिट्टी, जैविक खाद, गोबर की खाद और मुरूम आदि जैसी सामग्रियों की आपूर्ति के संबंध में सामग्री को वैध स्रोत से खरीदा जाना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए निविदाकर्ता की ओर से अधिकृत अधिकारी निविदाकार से इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। यदि निविदाकार ऐसा करने में विफल रहता है तो आपूर्ति की गई सामग्री का हिसाब नहीं दिया जाएगा और इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
    3. यदि सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय में शुरू/पूरी नहीं की जाती है, तो निविदाकार का अनुबंध रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्याकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जप्त तक कर ली जावेगी। यदि कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति अधूरी रहती है तो निविदाकर्ता को अन्य स्रोतों से सामग्री का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रता होगी और इसमें व्यय की गई अतिरिक्त राशि यदि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से कम है तक उसमें से समायोजित की जावेगी यदि यह अतिरिक्त राशि सत्यांकर की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से अधिक है, तो सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त कर ली जावेगी।
    4. निविदाकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मात्रा के अनुसार अधिक या कम दोनों तरफ भिन्न हो सकती है। निविदाकार निविदाकर्ता की बदलती आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।
    5. इस निविदा सूचना या जारी किए गए कार्य आदेश में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है। उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार निविदाकर्ता के पास होगा.।

वन मण्डल अधिकारी
सीधी (म0प्र0)

अनुलग्नक - 1

प्रारूप: स्वघोषणा – काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र

₹ 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

दिनांक://

सेवा में,

वनमण्डल अधिकारी

……………..जिला …………………… म0प्र0

महोदय/महोदया,

दिनांक ______________ के निविदा संदर्भ संख्या ______________ के प्रत्युत्तर में, ____ के स्वामी/भागीदार/निदेशक के रूप में, मैं/हम घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म ________________________________ का रिकार्ड बेदाग है तथा उसे किसी भी राज्य/केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हम आगे घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म………………………………………………

निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणों से काली सूची में नहीं डाली गई है और न ही अयोग्य घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जब्त कर ली जाएगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा।

आपका धन्यवाद,

निविदाकार का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता: -

संगठन की मुहर: -

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक - 2

प्रारूप: निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति / फर्म का विवरण

1. निविदाकार / फर्म का नाम:

....

2. पिता का नाम

....

3. स्थायी पता मकान कमांक

....

गली कमांक ....

स्थान ....

जिला ---------------------------------- पिन कोड---

4. कार्यालय का पता

....

गली कमांक ....

स्थान ....

जिला ---------------------------------- पिन कोड---

5. सत्यांकार राशि (ई.एम.डी.) का विवरण प्रकार: - एफडीआर / बैंक गारंटी / ....

संख्या दिनांक

....

राशि

....

बैंक का नाम ....

6. जीएसटी नंबर ....

निविदाकार के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं, ...,

पिता/पति

....

घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूँगा। मैंने निविदा दस्तावेज़ की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-3

प्रारूप: सामग्री प्रदाय क्षेत्र भ्रमण प्रमाण पत्र

मैं/हम .... जानता हूँ/जानते हैं कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा .... वनमण्डल का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मैं/हम .... वनमण्डल के अंदर किसी भी दिए गए स्थान पर आपूर्ति करने के लिए सहमत हैं।

मुझे/हमें क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने/हम ने काम/आपूर्ति स्थान का पूरी तरह से निरीक्षण किया है और निविदा के लिए आवेदन करने से पहले कार्य स्थलों के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हैं और सभी कार्य स्थितियों को समझते हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-4

पूर्व-योग्यता मापदंड

निविदाकार के पास होना चाहिए:

i. (किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार संगठन/विभाग/पीएसयू/सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में) सफलतापूर्वक निष्पादित करने का अनुभव:

क) तीन समान कार्य जिसके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 20% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है;

या

ख) दो समान कार्य जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 30% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है;

या

ग) एक समान कार्य जिसकी कुल लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 50% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए निविदा दी गई है; अथवा

घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी एक वित्तीय वर्ष में वन विभाग, म.प्र. में समान मदों का कार्य निष्पादित किया गया हो जो निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के 30% के बराबर राशि से कम नहीं होना चाहिए।

ii. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के दोगुने से कम नहीं होना चाहिए।

संयुक्त उद्यम के मामले में, कम कारोबार वाली फर्म के कारोबार को उपर्युक्त खंड (ii) के तहत मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। यदि निविदाकार के गठन/निगमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है, तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत कारोबार को इस मापदंड के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

अनुलग्न –5

स्वीकृति पत्र क्रमांक

क्र............................

दिनांक ....

प्रति,

मेसर्स ....

....

(निविदाकार का नाम और पता)

विषय :–

—-00—-

प्रिय श्री ....

उपरोक्त कार्य के लिये आपकी बोली मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से मात्रा बिल और उसमें दी गई मदवार दरों के बराबर स्वीकार कर ली गई है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	सामग्री का नाम और विवरण	खरीदी जाने वाली मात्रा	स्वीकृत दर (रू. में)

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें।

(क) रूपये .... (आंकड़ों में) की निष्पादन सुरक्षा/निष्पादन गारंटी (रूपये .... केवल शब्दों में) निष्पादन सुरक्षा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा/बैंक गांरन्टी की रसीद के रूप में होगी जो वस्तुओं की आपूर्ति के तीन महीने बाद तक बैध होगी, ... के नाम पर पतिज्ञा।

(ख) अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करें।

अनुलग्नक 6
संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर)

यदि संयुक्त उद्यम की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए:

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदाएँ निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगी:

क. भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जाएगा, और इस प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाएगा;

ख. निविदा और, सफल निविदा के मामले में, समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि यह सभी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो;

ग. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों के लिए और उनकी ओर से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जाएगा;

घ. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे, और इस आशय का एक कथन ऊपर [सी] के तहत उल्लिखित प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में [सफल निविदा के मामले में];

ड. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधित नहीं किया जाना चाहिए;

च. संयुक्त उद्यम समझौते को पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो; और

छ. भागीदारों द्वारा किए गए संयुक्त उद्यम समझौते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

2. निविदा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदंडों के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिए संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आंकड़े एक साथ जोड़े जाएंगे। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार/संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।

4. संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ता(यों) को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें

5. संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुए समझौते को संलग्न करें [और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं], जो निविदाकारों के लिए निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।

6. संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत करें:

क्रमांक	भागीदारी विवरण	फर्म "ए" (प्रमुख भागीदार)	फर्म "बी"	फर्म "सी

अनुलग्नक–7 अनुबंध प्रपत्र

अनुबंध

यह अनुबंध दिनांक .... को वन मण्डल अधिकारी सीधी, जिला–सीधी (म0प्र0) (निविदाकर्ता का नाम और पता) (जिसे आगे "निविदाकर्ता" कहा जायेगा) और मेसर्स ....(निविदाकार का नाम और पता) जिसे आगे "निविदाकार" कहा जायेगा, के बीच दूसरे पक्ष के लिये किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वन मण्डल अधिकारी सीधी म.प्र. (अनुबंध का नाम और पहचान संख्या) (जिसे अगे ''कार्य'' कहा जायेगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर बस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करें और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिये बोली को स्वीकार कर लिया है।

अब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है :

1. इस अनुबंध में, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अथ होगा जो उन्हे अनुबंध की शर्तो में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जायेगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किये जाने वाले भुगतानों के विचार में जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निष्पादित और पूरा कररने के लिये निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।
3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध मूल्य या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिये अनुबंध करता है।
4. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जायेगा अर्थात
   1. स्वीकृति पत्र
   2. निविदाकारों को निर्देश
   3. अनुलग्नक 1 से 3
   4. बिल की मात्रा (BOQ) या सामग्रीवार दरें
   5. निविदा दस्तावेज में अधिरोपित की गई समस्त शर्तो एवं अन्य दस्तावेज जो अनुबंध का हिस्सा है, को मान्य करते हुये अनुबंध किया जाता है।

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित किया है।

सामान्य मुहर .... इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई थी।

उक्त .... द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त की उपस्थिति में।

वन मण्डल अधिकारी
सीधी (म0प्र0)
निविदाकार के बाध्यकारी हस्ताक्षर

निविदाकार के नाम एवं
हस्ताक्षर मोहर सहित

2026_MPFD_505086_1

वित्तीय वर्ष 2026-27

वन मण्डल सीधी अंतर्गत लाइन क्वार्टर निर्माण कार्य, स्थल - रामपुर परिक्षेत्र - चुरहट, वन मंडल सीधी (म.प्र.)

No.	WORK	निर्माण की कुल लागत	निर्माण कार्य की अवधि
1	FOREST LINE QUARTER CONSTRUCTION COMPLETE WORK AS PER ATTCHED DOCUMENT	48.30 लाख	06 माह (कार्य आदेश जारी होने के बाद)

लाइन क्वार्टर निर्माण कार्य से सम्बंधित सभी प्रकार व्यय निविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा I

कार्य से संवंधित किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे कार्यालयीन समय मे संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

टीप – अनुमानित मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

कार्यालय वन मंडल अधिकारी वनमंडल सीधी (म.प्र.)

वन मण्डल अधिकारी
सीधी (म०प्र०)

अनुलग्नक–4

पूर्व–योग्यता मापदंड

निविदाकार के पास होना चाहिए:

"पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के दोगुने एवं समान कार्य का अनुभव निविदा के मदों की संभावित राशि के 25% से कम नहीं होना चाहिए।

संयुक्त उद्यम के मामले में, कम कारोबार वाली फर्म के कारोबार को मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। यदि निविदाकार के गठन/निगमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है, तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत कारोबार को इस मापदंड के लिए ध्यान में रखा जाएगा।"

(असीम श्रीवास्तव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
वन बल प्रमुख, म.प्र. भोपाल

लाईन क्वार्टर, परिक्षेत्र- पुरइट स्थल- रामपुर खसरा नं० 1174

ESTIMATE OF FOREST LINE QUARTER

(Total Area = 2843 sq. ft. + Court Yard 940 sq feet)

1. C/C length of walls = 94.75 x 3 + 29.25 x 9 + 7.5 x 4 running feet
   = 577.5 running feet
   = 176.02 running meter

2. C/C length of court yard walls = 94.75 x 1 + 9.25 x 5 running feet
   = 141 running feet
   = 42.98 running meter

3. No. of columns in quarter = 36
4. No. of columns in courtyard = 9
5. Size of each column = 9 inches x 9 inches
6. Plinth = 0.5 meter above ground level
7. Beam at plinth level = 9 inches x 9 inches
8. Beam at door level = 9 inches x 6 inches
9. Beam at slab level = 9 inches x 9 inches
10. Thickness of slab = 4 inches

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल सीधी (म.प्र.) सत्यमेव जयते

Estimate of different works

1. Excavation:

(i) For columns = (36 + 9) x 1.0 x 1.0 x 1.2 meter
  = 54.000 cubic meter

(ii) For walls =[(176.02 + 42.98) - 120 x 0.5] x 0.3 x 0.5
  = 23.850 cubic meter

(iii) For pavement block = 89x0.45=40.05 sqm

(iv) Total excavation = 117.90 cubic meter

...अधिकारी

2. **Filling foundation with 1:3:6 (M-10) cement concrete:**

(i)	For columns	= (36+ 9) x 1.0 x 1.0 x 0.1
		= 4.500 cubic meter
(ii)	For walls	= (176.02 + 42.98) x 0.3 x 0.1
		= 6.570 cubic meter
(iii)	For flooring in rooms	= 28.88 x 9 x 0.1
		= 25.992 cubic meter
(iv)	Total CC	= 37.062 cubic meter

3. **R.C.C. work in 1:1.5:3 (M-20) in columns, beams,chajjas & slab:**

(i)	Columns footing	= 45 x (1 x 1 + 0.22 x 0.22)/2 x 0.3
		= 7.077 cubic meter
(ii)	Columns up to plinth level	= 45 x 1.2 x 0.22 x 0.22
		= 2.614 cubic meter
(iii)	Column up to roof level	= 36 x 0.22 x 0.22 x 3.1
		= 5.401 cubic meter
(iv)	Column in court yard	= 9 x 0.22 x 0.22 x 1.8
		= 0.783 cubic meter
(v)	Beam at plinth level	= (176.02 + 42.98) x 0.22 x 0.22
		= 10.599 cubic meter
(vi)	Beam at door level	= 176.02 x 0.22 x 0.15
		= 5.809 cubic meter
(vii)	Beam at door level	= 176.02 x 0.22 x 0.22
		= 8.519 cubic meter
(vii)	Chajjas	= 8 x 0.6 x 1.5 x 0.1
		= 0.72 cubic meter
(viii)	Slab	= (28.88 x 9.00) x 0.1
		= 25.992 cubic meter

(ix) Total RCC = 67.514 cubic meter

4. **Steel required in RCC** = 1.25 % of volume of RCC
= 6625 kg

5. **Masonary in foundation/plinth** = (176.02 + 42.98) x 0.22 x 0.9
= 43.362 cubic meter

6. **Masonary in superstructure:**

(i) In main building = 176.02 x 0.22 x 2.85
= 110.364 cubic meter

(ii) In courtyard = 42.98 x 0.22 x 1.8
= 17.020 cubic meter

(iii) In parapet = 75 x 0.75 x 0.22
= 12.375 cubic meter

(iv) Deduction for doors/windows = (12 x 1.07 x 2.1 + 16 x 0.838 x 2.1 +
4 x 1.5 x 1.35 + 8 x 1.2 x 1.35 +
8 x 0.6 x 0.45) x 0.22
= 17.235 cubic meter

(v) Total Masonary = 122.524 cubic meter

7. **Plaster in 1:6 cement mortar**

(i) In main building = 2 x 176.02 x 3.0
= 1056.12 square meter

(ii) In courtyard = 2 x 42.98 x 1.8
= 154.728 square meter

(iii) In parapet wall = 2 x 75 x 0.75
= 112.50 square meter

(iv) In roof = 28.88 x 9
= 259.920 square meter

(iv) Deduction for doors/windows =2 x (12 x 1.07 x 2.1 + 16 x 0.838 x 2.1 +
4 x 1.5 x 1.35 + 8 x 1.2 x 1.35 +
8 x 0.6 x 0.45)
= 156.682 square meter

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी सत्यमेव जयते वनमण्डल सीधी (म.प्र.)

उपवन मंडल अधिकारी

(v)Total plaster = 1426.586 square meter

8. **Centering and shuttering:**

(i) For Columns in main building = 36 x 4 x 0.22 x 4.6
= 145.728 square meter

(ii) For columns in courtyard = 9 x 4 x 0.22 x 3.3
= 26.136 square meter

(iii) For beam at plinth level = (176.02 + 42.98) x 0.3
= 65.700 square meter

(iv) For beam at door level = 176.02 x 0.525
= 92.410 square meter

(v) For beam at roof level = 176.02 x 0.66
= 116.173 square meter

(vi) For chajjas = 8 x 0.6 x 1.5
= 7.200 square meter

(vii) For slab = 28.88 x 9
= 259.92 square meter

(viii) Total shuttering =713.267 square meter

9. **Filling foundation with stone dust** = 28.88 x 9 x 0.5+89x.030
= 156.66 cubic meter

10. **Wood required for frames** = 0.0635 x 0.127 x (12 x 5.334 + 16 x 5.105
= 1.174 cubic meter

11. Frame work for doors/window = (12 x 1.07 x 2.1 + 16 x 0.838 x 2.1
= 55.12 square meter

12 **Flooring** = 28.88 x 9
= 259.92 square meter

13 Pavement Block = 29x3.05=89 sqm

Estimate of expenditure for Forest Line Quarter

Sr.	CSR item no.	Description of the work	Quantity	Rate in Rs.		Amount
				Amount	Unit	
1	2.2	Clearing jungle including uprooting of rank vegetation, grass, brush wood etc	320	4.14	Sqm	1325
2	2.6.	Earth work in excavation in all kinds of soil	117.9	129.00	Cum	15209
3	4.1.1.4	Filling foundation- Providing and laying in position cement concrete of M-10 grade with 20 mm nominal size graded stone aggregate	37.062	3890.00	Cum	144171
4	5.1.1	Providing and laying in position M-20 grade of reinforced cement concrete with 20 mm nominal size graded stone aggregate excluding cost of centering/shuttering/steel	67.514	6153.00	Cum	415414
5	5.16.6	Reinforcement for RCC work including straighening, cutting, bending etc with TMT bars	6625	80.00	Kg	530000
6	6.5.2	Brick work with well burnt open bhatta bricks with crushing strength no less than 25 kg/sq.cm and absorption not more than 20% in 1:6 cement mortar	43.362	4155.00	Cum	180169
7	6.6.2	Brick work with well burnt chimney bricks with crushing strength no less than 25 kg/sq.cm and absorption not more than 20% in 1:6 cement mortar	122.524	4350.00	Cum	532979
8	13.2.2	15 mm thick plaster in 1:6 cement mortar	1426.586	128.00	Sqm	182603
9	5.9.1	Centering and shuttering including removal in beams, columns, slab etc	713.267	190.60	Sqm	135949
10	2.26	Supplying and filling in plinth with Stone dust including ramming, watering etc	156.66	672.00	Cum	105276
11	9.1.2	Providing wood work in frames of doors and fixed in position with sal wood	1.174	71309.00	Cum	83717
12	9.5.2.2	Providing and fixing panelled shutters for doors with prelaminated board with decorative lamination on one side and balancing lamination on other side	55.12	1956.00	Sqm	107815

उपवन मण्डल अधिकारी
सीधी

सत्यमेव जयते
अधिकारी ★ (म.प्र.) मण्डल सीधी

Sr.	CSR item no.	Description of the work	Quantity	Rate in Rs.		Amount
				Amount	Unit	
13	11.78.1.1	Providing and laying vitrified floor tiles laid on 20 mm thick cement mortar in 1:4 with 600 mm x 600 mm x 9 mm size tiles (additional 10% for skirting)	285.82	1104.00	Sqm	315545
14	11.66	Concrete interlocking paver stock. Infront of building (i/c porch)	89.00	586.00	Sqm	52154
15		Cost of window grills (As per market rate)	460	80.00	Kg	36800
16		Aluminium window frame 3 track sliding (2 Glass+ 1 Mosquito mesh shutter) and fly proof outer doors	LS			76000
17		Cost of septic tank of size 5 feet x 5 feet x 5 feet; 4 no.	LS			120000
18		Miscellaneous Exp-	LS			40000
.		**Total**				**3075125**
19		Add 5% for electrification				153756
20		Add 5% for sanitary fittings including 500 liter tank for each quarter				153756
21		Add for tile work in bath/toilets	LS			40000
22		Add 5% for white washing (with 2 coats of cement based putty and emulsion				153756
23		Add for covered shade in court yard with flagstone flooring	LS			80000
24		Add for the cost of 02 kota stone covered almirah of size 7 feet high, 4 feet wide and 20 inches deep in each room in quarter	04 quarter			60000
		Total				**3716394**
25		Add for GST	18.00%			668951
		Total				**4385345**
26		Add 1% for labour welfare tax				43853
		Total				**4429198**
27		**Provision for Boundarywall (100 rmt)**				400000
		Grand Total		**or 48,30,000**		**4829198**

महेंद्र सिंह धाकड़
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा),
मध्यप्रदेश, भोपाल

राजेश खरे
मुख्य वन संरक्षक ,भोपाल

चितरंजन त्यागी
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
मध्यप्रदेश, भोपाल

सुनील अग्रवाल
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
मध्यप्रदेश, भोपाल

Estimate of Quantities of line quarter

Sr.	Description of the work	Quantity	Cement (Bag)	Sand (cu m)	Aggregate (cu m)	Brick	Steel in kg	Stone Dust (cu
1	M-10 grade CC	37.062 cu.m	164	16.9	33.8	0	0	0
2	M-20 CC	67.514 cu.m	550	27.988	55.976	0	0	0
3	Steel	6625 kg	0	0	0	0	6625	0
4	Brick work (41.47 cum mortar)	165.886 cu.m	191	41.47	0	91237	0	0
5	Plaster (25.67 cum mortar)	1426.586 sq.m	118	25.67	0	0	0	0
6	Stone Dust	156.66 cu.m	0	0	0	0	0	156.66
7	Tiles Flooring	285.22	123	12.3	0	0	0	0
		Total	1146	124.328	89.776	91237	6625	156.66

कार्यालय उपवनमंडल अधिकारी ★ वनमण्डल सीधी (म.प्र.) ★ सत्यमेव जयते

R.O.

उपवन मंडल अधिकारी
सीधी

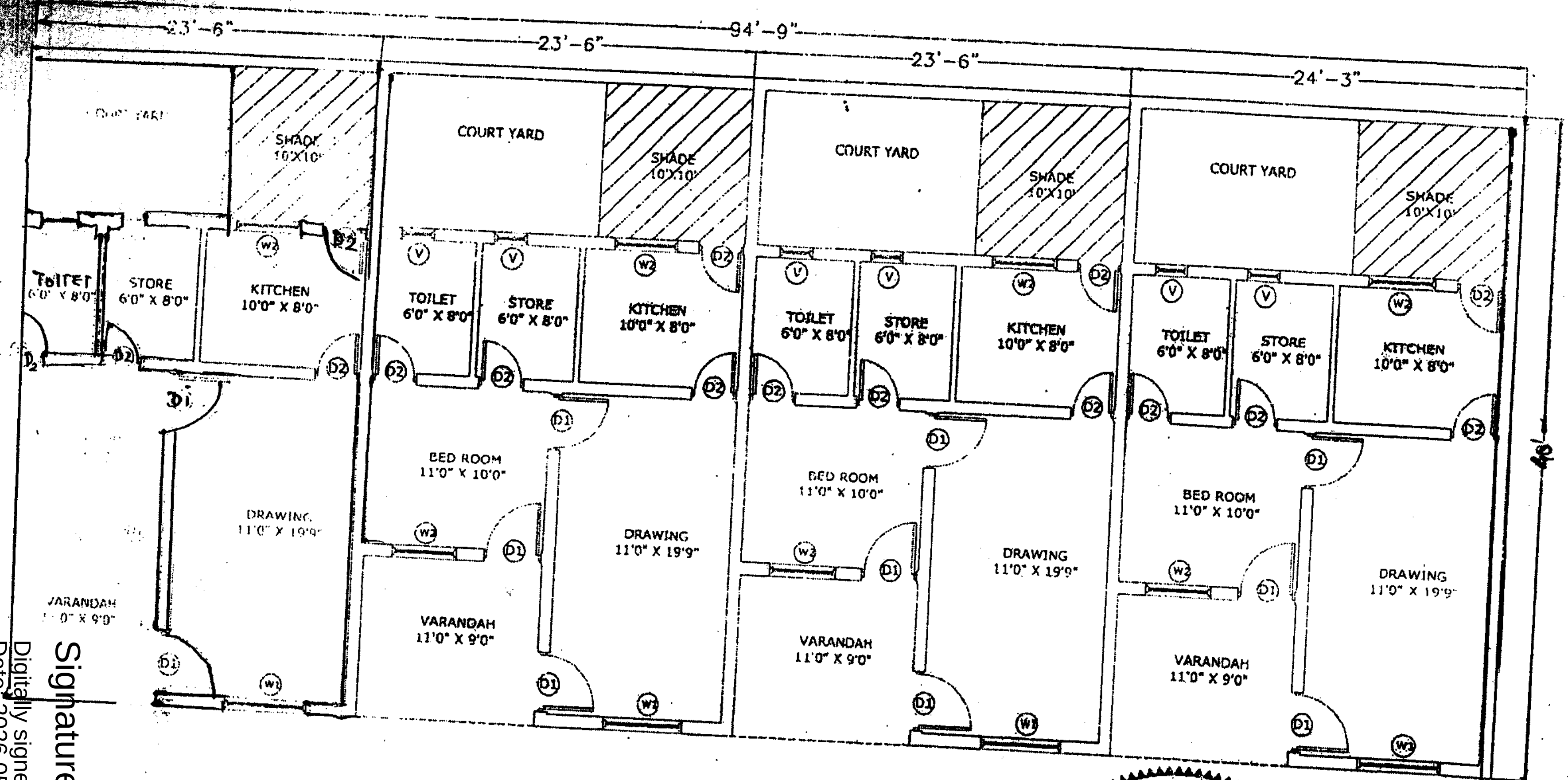

...NE QUARTERS FOUR FQ QUARTER

...SIZE - 24'3" X 30'0" = 726.9 SQFT.+ COURT YARD

...SIZE -94'0" X 30'0" =2842 .5 SQFT.+ COURY YARD

उपवन मण्डल अधिकारी
सीधी

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी ★ वनमण्डल सीधी (म.प्र.) ★
सत्यमेव जयते

NOTE- WALL THICKNESS 9" & 4.5"

SPECIFICATION OF DOOR & WINDOW(EACH UNIT)

D1- 3'6" X 7'0" = 3NOS
D2- 2'9" X 7'0" = 4NOS.
W1- 5'0" X 4'6" = 1NOS.
W2- 4'0" X 4'6" = 2NOS.
V- 2'0" X 1'6" = 2NOS.

(174)
(51)
(104)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naveen Singh
Date: 2026.05.05 13:56:20 IST
Location: Madhya Pradesh-MP